जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 279 प्रभात कोटा, बुधवार 23 जुलाई, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

भाजपा सरकार उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी?

इस संभावना से आतंकित जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा देने का निर्णय लिया और जब भाजपा हाईकमान त्याग पर कार्यवाही नहीं कर रहा था तो धनखड़ ने इस्तीफे की खबर अपने ट्विटर हैण्डल पर डाली

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। क्या मोदी सरकार बिखर रही है? क्या नेताओं का असंतोष मोदी के तीसरे कार्यकाल की पहचान बनता जा रहा है, क्योंकि वे हर घटनाक्रम के कथानक पर नियन्त्रिण करने की कोशिश तथा सिर्फ़ अपनी बात मनवाने और "यस सर" कहने वाली संस्कृति को सुनिश्चत कर रहे हैं?

जगदीप धनखड का इस्तीफ़ा और उससे जुड़े तमाम विवादों से यह साफ़ दिखता है कि मोदी सरकार किसी भी असहमति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सरकार का स्पष्ट और सीधा संदेश है – इस सरकार में सिर्फ़ हाँ में हाँ मिलाने वालों के लिए ही जगह है।

चाहे उपराष्ट्रपति से इस्तीफ़ा मांगा गया हो या उन्होंने खुद संकेत समझकर इस्तीफ़ा दिया हो, लेकिन दोनों ही स्थितियों का नतीजा एक ही है – प्रधानमंत्री और उनकी टीम की साख को बड़ा झटका लगा है।

- वैसे भी धनखड़ आरएसएस के नज़दीक माने जाते हैं तथा संघ के दबाव में ही धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया था और उसके पहले पश्चिम बंगाल का राज्यपाल।
- कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत व प्र.मंत्री नरेन्द्र मोदी के तनाव की स्थिति की भी कुछ छाया तो नहीं है, धनखड़ प्रकरण पर।
- इसके अलावा, हाल ही में अपनी कोटा यात्रा के दौरान, धनखड़ ने काफी तीखी आलोचना की थी, कोटा की कोचिंग क्लॉसेज़ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने इस पर भारी आपत्ति की थी, क्योंकि अधिकतर कोचिंग इन्स्टीट्यूट के संस्थापक व संचालक ओम बिड़ला के नज़दीक के लोग बताये जाते हैं। ओम बिड़ला ने अपनी भावनाओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया था और एक बार फिर जगदीप धनखड़ की पेशी हुई अमित शाह के सामने।
- कई सवाल अनुत्तरित हैं, इस प्रकरण में, जिनका जवाब आना अभी बाकी है।

खबर है कि सरकार उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी।

दोपहर बाद प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की और फैसला किया कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। राजनाथ सिंह से भाजपा सांसदों को फोन करके प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाने को कहा गया। कुछ मनोनीत सांसदों को भी बुलाया गया और सभी से इस बात को गोपनीय रखने को कहा गया।

धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के महाभियोग पर विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, जबकि सरकार चाहती थी कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर पहल वही करे। बताया गया है कि उन्होंने इस बारे में नेतृत्व को सूचित नहीं किया।

उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बहस की भी अनुमति दे दी, जिससे विपक्ष को विभिन्न प्रकार के सवाल पूछने का मौका मिलता, जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता।

यह वही मुद्दा था, जिससे मोदी सरकार बचना चाहती थी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पाकिस्तान के साथ सीमित बातचीत ही हुई थी।

धनखड़ को लगने लगा था कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मिग-21 की भारतीय वायु सेना से विदाई होगी

नई दिल्ली, 22 जुलाई। भारतीय वायु सेना रूस निर्मित मिग-21 लड़ाकू विमानों को सितंबर में सेवानिवृत्त कर देगी। करीब 62 साल तक भारतीय वायुसेना को सेवा देने के बाद मिग-21 को चंडीगढ़ एयरबेस पर एक खास समारोह में विदाई दी जाएगी।

मिग-21 को 1963 में वायु सेना में शामिल किया गया था। इस विमान ने 1965, 1971, 1999 और 2019 की सभी बड़ी सैन्य कार्रवाइयों में भाग लिया है। मिग-21 एक हल्का सिंगल पायलट फाइटर जैट है। सोवियत रूस के मिकोयान-गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने इसे 1959 में बनाना शुरु किया था। यह विमान 18 हजार मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये एअर टू एअर मिसाइलों और बम को अपने साथ ले जाने में सक्षम है।

- सूत्रों ने बताया कि 62 साल वायु सेना में सक्रिय रहे इन विमानों को चंडीगढ़ एयर बेस पर एक समारोह में विदाई दी जाएगी।

इसकी स्पीड अधिकतम 2,230 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1,204 नॉट्स (माक 2.05) तक की हो सकती है। 1965 और 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में मिग-21 विमानों का इस्तेमाल हुआ था। 1971 में भारतीय मिग ने चेंगडु एफ विमान (ये भी मिग का ही एक और वेरियंट था जिसे चीन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या जगदीप धनखड़ प्रकरण "मैच फिक्सिंग" का मामला है?

अंततोगत्वा कांग्रेसाध्यक्ष को धनखड़ प्रकरण पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़े ने कांग्रेस पार्टी को भीतर से झकझोर दिया है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ़ कहा है कि धनखड़ जाएं या रहें, यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इस मुद्दे का इस्तेमाल देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया है जो पूर्व उपराष्ट्रपति की खुलकर तारीफ़ कर रहे हैं और उनका बचाव कर रहे हैं।

इनमें सबसे प्रमुख हैं एआईसीसी मीडिया प्रभारी महासचिव जयराम रमेश, जो बार-बार पार्टी को असहज स्थिति में डाल चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है।

जयराम रमेश ने एक ट्वीट में लिखा:

"धनखड़ जी ने किसानों के हितों के लिए खुलकर आवाज़ उठाई। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में बढ़ते अहंकार की आलोचना की और न्यायपालिका की जवाबदेही व संयम की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने जहां तक संभव हो सका, विपक्ष को जगह देने की कोशिश की। वह नियमों, प्रक्रियाओं और मर्यादाओं के पक्के थे..."

धनखड़, जिन्हें कुछ समय पहले तक कांग्रेस का दुश्मन नंबर एक माना जा रहा था, उनकी इतनी प्रशंसा से पार्टी में कई लोगों की भौंहें तन गई हैं।

कई नेताओं और सांसदों ने खड़गे से इस पर नाराज़गी जताई, जिसके बाद खड़गे ने सार्वजनिक रूप से पार्टी की स्थिति साफ़ कर दी।

- एआईसीसी मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने, जगदीप धनखड़, जो कि कुछ दिन पूर्व तक कांग्रेस के शत्रु नंबर एक थे, की खुली तारीफ करके बड़ी अटपटी स्थिति पैदा की।
- कई नेताओं व सांसदों ने खड़गे से मिलकर जयराम की इस प्रशंसा के खिलाफ शिकायत की।
- गत दिसम्बर माह में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी, पर, प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि, जयराम रमेश पहले अपना ही नाम गलत लिख दिया था तथा अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देने की अनिवार्य औपचारिकता भी पूरी नहीं की थी, क्या यह "मैच फिक्सिंग" का मामला नहीं था।
- परन्तु, अब स्वयं भाजपा सरकार धनखड़ को कठघरे में खड़ा कर देना चाहती है। अतः कथानक एक बार फिर गहरा रहा है।

क्या वरिष्ठ जेडीयू नेता हरिवंश सिंह बन सकते हैं नए उपराष्ट्रपति?

वर्तमान में वे राज्यसभा के उपसभापति हैं और सभी दलों से उनका अच्छा तालमेल बताया जाता है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सत्तारूढ़ भाजपा में हलचल मचा दी है, इसने प्रधानमंत्री के खेमे और आरएसएस के बीच गहरी फूट को उजागर कर दिया है। इस्तीफे का आधिकारिक कारण भले ही स्पष्ट नहीं हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि धनखड़ का कार्य करने का तरीका लंबे समय से वरिष्ठ भाजपा नेताओं और आरएसएस के भीतर के लोगों को नाखुश करता आ रहा था।

कई महीनों से सूत्र ये संकेत दे रहे थे कि धनखड़ के राज्यसभा के सभापति के रूप में बढ़ते हुये अड़ियल रवैये और हस्तक्षेपों से न केवल विपक्षी दलों को, बल्कि एनडीए के कुछ सहयोगियों को भी असुविधा हो रही थी।

संघ परिवार के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, धनखड़, जो राजस्थान के झुंझुनूं से हैं और एक वकील से राजनेता बने हैं, अब भाजपा के शीर्ष नेताओं या प्रधानमंत्री के करीबी हलकों में एक असैट (मूल्यवान व्यक्ति) के रूप में नहीं देखे जा रहे थे।

- समझा जाता है कि सरकार गठबंधन की मजबूती का संकेत देने और सहयोगियों को खुश करने के लिए यह कदम उठा सकती है।
- इसी क्रम में तेलुगू देशम पार्टी के किसी नेता को उपसभापति बनाने की भी चर्चा है, इसे चंद्रबाबू नायडू को राजी करने की कोशिश बताया जा रहा है, जो कुछ समय से कई मसलों पर भाजपा से अलग राय व्यक्त कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात यह है कि धनखड़ के कार्यकाल में अभी दो साल शेष थे। इसलिये उनका इस्तीफा केवल एक सामान्य राजनीतिक फेरबदल से कहीं अधिक प्रतीत होता है, यह गंभीर आंतरिक पुनः संतुलन का एक संकेत है। एक वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि धनखड़ की "अपनी उपयोगिता पूरी हो गई थी" और अब वे मोदी-शाह नेतृत्व की बदलती राजनीतिक रणनीति से मेल नहीं खा रहे थे। लेकिन उन्हें हटाने का निर्णय लेना आसान नहीं था। इसके लिए कई शक्ति केन्द्रों में सहमति की आवश्यकता थी, जैसे भाजपा नेतृत्व, संघ और एनडीए के प्रमुख सहयोगी दल।

इसी बीच, अब यह खबरें आ रही हैं कि एनडीए संसद में एक बड़े पुनर्गठन पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति और वरिष्ठ जेडी (यू) नेता हरिवंश सिंह को धनखड़ के स्थान पर लाने के विकल्प

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान हाई कोर्ट में 7 नये न्यायाधीशों की अधिसूचना जारी

जयपुर, 22 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट को सात नए न्यायाधीश और मिल गए हैं, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 43 हो गई है। सात नए न्यायाधीशों में से छह अधिवक्ता कोटे से और एक न्यायिक अधिकारी कोटे से जज बने हैं। वकील कोटे से जज बनने वाले संदीप तनेजा, बलजिंदर सिंह, बिपिन गुप्ता, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंघी हैं, जबकि न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा को हाईकोर्ट जज नियुक्त किया गया है। विधि एवं न्याय विभाग ने इस संबंध में नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। संदीप तनेजा को हाईकोर्ट का स्थाई जज और शेष छह को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया

- आशा की जा रही है कि राजस्थान हाई कोर्ट के काम की रफ्तार में तेजी आयेगी। अभी हाई कोर्ट में करीब 6 लाख साठ हजार मुकदमे लम्बित हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विधेयकों पर राज्यपाल की मंजूरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकारों को नोटिस भेजा

मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आए "प्रैसिडैंशियल रैफरेंस" पर यह नोटिस भेजा गया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केन्द्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक प्रैसिडैंशियल रैफरेंस (राष्ट्रपति संदर्भ) पर जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकती हैं।

नोटिस जारी करते हुए, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार, 29 जुलाई को सूचीबद्ध की है। कोर्ट ने एटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से मामले में सहायता करने का अनुरोध भी किया है।

8 अप्रैल, 2025 के ऐतिहासिक निर्णय में न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 में एक निर्दिष्ट समयसीमा की अनुपस्थिति के बावजूद विधेयकों पर सहमति देने में अनिश्चितकालीन देरी नहीं कर सकते। अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को राज्यपाल द्वारा भेजे गए विधेयकों पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। यदि इसमें कोई और देरी हो, तो उसका स्पष्ट कारण संबंधित राज्य को बताया जाना चाहिए।

इस निर्णय की अन्य मुख्य बातें थीं कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पॉकेट वीटो (राज्यपाल द्वारा बिना निर्णय

- सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआई बी.आर. गवई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संविधान बैंच ने नोटिस जारी करने के बाद मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख दी है, साथ ही एटॉर्नी जनरल आर. वैंकटरमणी को कोर्ट की सहायता करने का निर्देश दिया है।
- गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बैंच ने 8 अप्रैल 2025 को फैसला दिया था कि राज्यपाल अनिश्चितकाल के लिए विधेयक को दबाकर रख नहीं सकते, हालांकि, आर्टिकल 200 में विधेयक पर मंजूरी के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। उन्होंने यह निर्देश भी दिया, कि जब राज्यपाल कोई बिल विचारार्थ राष्ट्रपति को भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर तीन माह में निर्णय लेना होगा और कोई देरी हो तो संबंधित राज्य को बताना होगा, इस निर्णय के अनुसार, राज्यपाल को विधेयक पर "पॉकेट वीटो" या "पूर्ण वीटो" का हक नहीं है।
- इस आदेश पर 15 मई को राष्ट्रपति मुर्मू ने "प्रैसिडैंशियल रैफरेंस" भेजा, जिसमें 14 संवैधानिक सवाल उठाए, जिनमें प्रमुख था कि क्या कोर्ट राष्ट्रपति व राज्यपाल को विधेयक की मंजूरी हेतु "समय सीमा" के लिए बाध्य कर सकता हे। रैफरेंस कहता है कि संविधान में न्यायपालिका को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान मरम्मत के बाद वापस गया

तिरुवनंतपुरम (केरल), 22 जुलाई। ब्रिटिश नौसेना का लड़ाकू विमान एफ-35 आखिरकार ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया है। लगभग एक महीने से भारत में खड़े रहे इस विमान ने आज तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे से उड़ान भरी है।

- एफ-35 फाइटर जेट का हाइड्रॉलिक सिस्टम खराब हो गया था तथा उसे तिरुवनंतपुरम में आपात लैंडिंग करने पड़ी थी। ब्रिटिश इंजीनियरों को इसे ठीक करने में 38 दिन लगे।

ब्रिटिश नेवी का यह एअरक्राफ्ट एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स का हिस्सा है। इसने 14 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। विमान में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप प्रशासन अपने कार्यकाल के मध्य में है, पर अभी भी अमेरिकी नागरिक विभाजित हैं, ट्रंप के प्रशासन के बारे में

-अंजन रॉय-
-अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि-

वॉशिंगटन, 22 जुलाई। अगले साल होने वाले मध्यावधि चुनावों से कुछ ही महीने पहले, अमेरिका में मतदाता ट्रंप के दूसरे कार्यकाल को लेकर पहले की तरह ही विभाजित नजर आ रहे हैं, चाहे वह निष्ठा हो, या उनके कार्यकाल का मूल्यांकन।

डॉनल्ड ट्रंप के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए दो मुद्दे विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनकर उभरे हैं। पहला है महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत का मुद्दा, जहाँ ट्रंप के वफादार समर्थक भी बढ़ती कीमतों की मार महसूस कर रहे हैं।

लोगों को, चाहे उनका राजनीतिक रुझान कुछ भी हो, लगता है कि कीमतें लगातार ऊँची बनी हुई हैं और इससे आम अमेरिकी का जीवन प्रभावित हो रहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप ने महंगाई के मुद्दे को बड़े प्रभावी ढंग से उठाया था।

यहाँ संदर्भ समझना जरूरी है। बाइडन प्रशासन के शुरुआती दिनों में बहुत अधिक महंगाई देखी गई थी, जिसे बाद में काबू में लाया गया। लेकिन बदनामी तो हो चुकी थी। ट्रंप ने बार-बार इसे बाइडन की विफलता के रूप में दर्शाया और वादा किया कि वे कीमतों और जीवन-यापन को बेहतर बनाएंगे।

लेकिन बढ़े हुए दामों ने परिवारों के बजट को लगातार प्रभावित किया और अभी भी यह एक बड़ी चिंता बनी हुई है। तथापि, कुछ मतदाता मानते हैं कि नौकरी की संभावनाएँ और समग्र स्थिरता अब बेहतर हो रही है, भले ही जीवन की लागत अधिक हो।

दूसरा मुद्दा है, एक सैक्स रैकेट स्कैंडल, जो मृत उच्च-प्रोफ़ाइल सामाजिक हस्ती एपस्टीन से जुड़ा है। एपस्टीन के साथ नजदीकियों ने अमेरिका और इंग्लैंड के कई शीर्ष लोगों को संकट में डाल दिया, जिनमें किंग चार्ल्स के छोटे भाई भी शामिल हैं।

- सब मानते हैं, महँगाई बढ़ी है, पर, ट्रंप के वफादार फिर भी यह मानते हैं कि बढ़ी हुई महँगाई के बावजूद देश में शांति व "स्टेबिलिटी" (स्थिरता) है।
- दूसरा प्रमुख मुद्दा, ट्रंप प्रशासन के मूल्यांकन के बारे में है, उनकी (ट्रंप की) बाल यौनाचार के आरोपी "एपस्टीन" से नज़दीकी के बारे में। ट्रंप के पुराने वफादार व समर्थक अभी भी ट्रंप को निर्दोष मानते हैं, पर, कुछ कट्टर समर्थक भी अब यह मानने लगे हैं कि ट्रंप को खुलकर अपना पक्ष जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि, अब वह मोड़ आ गया है, जबकि जनता "सत्य व पूर्ण सत्य को जाने बगैर संतुष्ट नहीं होगी।"

एपस्टीन पर सबसे गंभीर आरोप ये हैं कि उसने मशहूर हस्तियों के लिए "चाइल्ड सैक्स" का आयोजन किया। उदाहरण के लिए, प्रिंस एंड्रयू पर ऐसे ही आचरण का आरोप लगा था, जिसकी वजह से उन्हें शाही जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए दूर रखा गया।

डॉनल्ड ट्रंप पर एपस्टीन के करीबी होने के आरोप लगे हैं और अब यह आरोप भी लग रहा है कि वे उसके नजदीकी सर्कल का हिस्सा थे। ट्रंप ने स्वाभाविक रूप से सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन उनकी सफाइयाँ अक्सर अस्पष्ट और भ्रमित करने वाली बताई जा रही हैं। अपने संबंधों से इन्कार करते समय वो कुछ हिचकिचाए हैं।

हालाँकि, अब मतदाता यह चाहते हैं कि राष्ट्रपति पूरी सच्चाई सामने रखें। यहाँ तक कि उनके वफादार समर्थक और रिपब्लिकन भी मांग कर रहे हैं कि सभी दस्तावेज़ जनता के सामने पेश किए जाएँ, ताकि सच्चाई सामने आ सके, क्योंकि "सिर्फ सच्चाई ही संतुष्टि दे सकती है।"

प्रमुख समाचार एजेंसी सी.एन.एन. ने ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का मूल्यांकन किया। एजेंसी ने अपने उस डेटा बेस का इस्तेमाल किया, जिसमें वो लोग शामिल थे, जिन्हें एजेंसी कई वर्षों से फॉलो कर रही थी। न्यूज़ चैनल ने उन लोगों को ट्रैक किया, जिन्होंने पिछले राष्ट्रपति चुनाव से पहले उसके सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था और अब एक बार फिर उनसे संपर्क करके उनसे उनका मूल्यांकन लिया गया है। हालाँकि कई समर्पित ट्रंप समर्थकों ने अपना समर्थन कायम रखा है, लेकिन कुछ कट्टर समर्थकों ने भी अब यह मांग की है कि राष्ट्रपति और प्रशासन को ट्रंप की नैतिकता से जुड़ी बातों को लेकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए।

कुछ वफादार तो यह विश्वास भी नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्रपति सच्चाई बता रहे हैं, या उनके जवाब उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट कर पा रहे हैं कि असली मुद्दा क्या था।

मुम्बई ट्रेन धमाकों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नयी दिल्ली, 22 जुलाई। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती

- महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई ट्रेन धमाकों में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बाम्बे हाईकोर्ट ने इस आतंकी घटना के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस घटना में 189 लोग मरे थे व 820 गंभीर घायल हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)